बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (VC)–13/2023– 493 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–9/4/25

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/25
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (VC)–13/2023– (10)/रा0, पटना–15, दिनांक– 9/4/25

प्रतिलिपि– विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/तीनों निदेशालय/उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

9/4/25
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (VC)–13/2023– 493 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–9/4/25

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/25
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

दिनांक 03.04.2025 को अपराह्न 04:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में 11वीं कृषि गणना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के अंतिम ऑकड़ों के सत्यापन एवं अपर समाहर्त्ताओं की नियमित निर्धारित 5 बिन्दुओं की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

1. उपस्थितिः– यथा उपस्थिति पंजी।
2. अरवल, जमुई, मुगेर, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर के अपर समाहर्त्ताओं के स्थान पर अन्य पदाधिकारी समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए, जिसपर सचिव द्वारा चिंता व्यक्त की गई और निदेश दिया गया कि भविष्य में अपर समाहर्त्ता स्वंय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेंगे तथा अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी पूर्व सूचना मुख्यालय को देना सुनिश्चित करेंगें।
3. सर्वप्रथम श्री आनंद शंकर, आई.टी. मैनेजर द्वारा 11वीं कृषि गणना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के अंतिम ऑकड़ों के अंतर्गत Table-1, Table- 2, Table-3,Table- 4, Table- 4A, Table- 5A, Table- 5B एवं द्वितीय चरण का कार्य संपन्न होने के उपरांत प्रथम चरण के ऑकड़ों में हुए परिवर्त्तन संबंधी प्रपंत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तद्‌लोक में निदेशित किया गया कि दिनांक 11.04.2025 तक अनिवार्य रूप से जिला पदाधिकारी के स्तर से सत्यापन कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएँगें।
4. वैसे जिलें जहाँ मखाना का उत्पादन होता है वहॉ पर मखाना को किस श्रेणी के अन्य में प्रविष्टि की गई है, के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
5. सभी जिलों से पूर्व निर्धारित 5 बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–
   - जमाबंदी में Lagan Missing की प्रविष्टि पर सभी अपर समाहर्त्ताओं को सचिव महोदय द्वारा एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अंचल स्तर पर 25 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कर संबंधितों को नोटिस करने तथा जिला स्तर

पर 10 बड़े बकाएदारों पर नियमानुसार नीलाम वाद पत्र दायर करने का निदेश दिया गया। सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि बिना भूमि समपरिवर्त्तन के Land use change करनेवाले रैयतों को भी नोटिस कर कार्रवाई की जाय।

- ROR Verification की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुजफ्फरपुर जिला के द्वारा विगत एक सप्ताह में सबसे अच्छा प्रदशर्न किया गया है, तथा शिवहर जिला द्वारा सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है। सचिव महोदय द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि अंचलवार हल्का का औचक निरीक्षण करें, और ROR Verification का हार्ड कॉपी में सभी का हस्ताक्षर है कि नहीं तथा तदनुसार डिजिटाईज्ड प्रति में सुधार हुआ है कि नहीं की विस्तृत जॉच करें। अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी/राजस्व कर्मचारी के स्तर पर लगभाग 12000 जमाबंदियो का ड्राफ्ट स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसे अविलंब पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही ऐसी भी संभावना है कि बड़ी संख्या में डिजिटाईज्ड जमाबंदियों मे ऑफलाईन सृजित जमाबंदियों के विरूद्ध त्रुटि सुधार अपेक्षित है, परन्तु उसके संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। राजस्व कर्मचारी के स्तर से ड्राफ्ट जमाबंदी तैयार करने एवं स्वीकृति की समीक्षा कर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता किशनगंज द्वारा बताया गया कि डिजिटाईज्ड जमांबंदी के सुधार के क्रम में image के अपलोडिंग की गति काफी धीमी है, जिसके कारण भी RoR का कार्य प्रभावित है। इस संबंध में आवश्यक सुधार का निदेश विभागीय आई.टी. मैनेजर को दिया गया।
- सरकारी भूमि का सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि 26 लाख खेसरा की प्रविष्टि हुई है, परन्तु अंचल अधिकारी के स्तर से मात्र 22.61 प्रतिशत खेसरा का ही सत्यापन किया गया है। भोजपुर में सत्यापन का कार्य सबसे कम पाया गया, जिसपर अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा समीक्षा की गई है, परन्तु इस

संबंध में राजस्व कर्मचारी को जानकारी नहीं रहने के कारण प्रगति धीमी रही है और उनके स्तर से इसकी जॉच हेतु उनके एवं भूमि सुधार उप–समाहर्ता द्वारा जॉच का रोस्टर तैयार किया गया है तथा सभी अंचल अधिकारियों को इस आशय का निदेश निर्गत किया गया है कि जिला मुख्यालय से भेजे गए पत्रों को पंजी में अलग से संधारित करें एवं उसका अवलोकन राजस्व कर्मचारी से कराते हुए उसका हस्ताक्षर अंकित कराएँ। सचिव महोदय द्वारा शीघ्र सत्यापन कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया तथा इस संबंध में राजस्व कर्मचारी का जानकारी नहीं रहने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी पर जवाबदेही निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाय। पश्चिमी चंपारण के अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि सत्यापन के क्रम में बगहा–1 एवं बगहा–2 एवं गोनाहॉ में Data not found का message तथा अपर समाहर्त्ता, दरभंगा के द्वारा बताया या कि दरभंगा सदर में Data not found का message प्रदर्शित होता है। इस संबंध में आवश्यक सुधार का निदेश आई.टी कोषांग को दिया गया।.

- अभियान बसेरा–2 एवं सरकारी भूमि दाखिल–खारिज के संबंध में निर्धारित तिथि 30 अप्रैल तक अचूक रूप से कार्य संपन्न कराने का निदेश दिया गया।
- सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

4/19/25

अरूण कुमार सिंह
(विशेष सचिव)